

सराहनीय कार्य जनपद बस्ती दिनांक-13.01.2025

थाना दुबौलिया पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को 258 शीशी टेट्रा पैक अवैध देशी शराब (बंटी-बबली) व बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल के साथ किया गया गिरफ्तार-

थाना दुबौलिया पुलिस द्वारा शांति/ सुदृढ़ कानून व्यवस्था के दृष्टिगत किये जा रहे चेकिंग व क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबीर खास की सूचना पर दिनांक-13.01.2025 को समय करीब 15:30 बजे विशेषगंज-अशोकपुर मार्ग पर ग्राम रमना तौफिर के निकट 02 अभियुक्तों यथा क्रमशः 1- ऋषि कुमार पुत्र नाथे 2- रामआशीष पुत्र बुद्धु को 1- एक अदद मोटरसाइकिल (HF-डीलक्स बिना नम्बर प्लेट की), 2- 258 शीशी अवैध देशी शराब (बन्टी-बबली) के साथ गिरफ्तार कर गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना दुबौलिया पर मु0अ0सं0- 05/2025 धारा-60/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय बस्ती रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1- ऋषि कुमार पुत्र नाथे उम्र 27 वर्ष निवासी अशोकपुर (गोडियाना) थाना दुबौलिया जनपद बस्ती।
- 2- राम आशीष पुत्र बुद्धु उम्र 19 वर्ष निवासी अशोकपुर (बदलू पुरवा) थाना दुबौलिया जनपद बस्ती।

बरामदगी का विवरण-

- 1- एक अदद मोटरसाइकिल (HF-डीलक्स बिना नम्बर प्लेट की)।
- 2- 258 शीशी अवैध देशी शराब (बंटी-बबली)।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1- थानाध्यक्ष दुबौलिया जितेन्द्र सिंह जनपद बस्ती।
- 2- व0उ0नि0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह थाना दुबौलिया जनपद बस्ती।
- 3- का0 हरेन्द्र यादव, का0 अभिषेक यादव, म0का0 पल्लवी सिंह थाना दुबौलिया जनपद बस्ती।

